


सरकार ने दिलाया खेती की जमीन का सबसे बड़ा मुआवजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने अधिग्रहीत की गई खेती की जमीन का अभी तक का सबसे बड़ा मुआवजा दिलवाया है, जो प्रति एकड़ ३ करोड़ ७ लाख है। मुआवजा लगभग ५६ एकड़ का दिया गया है, जिसके तहत कुल राशि पौने २ अरब के करीब दी गई है। माना जा रहा है कि देश में भी अभी तक खेती की जमीन का प्रति एकड़ निर्धारित होने वाली राशि के आधार पर यह सबसे बड़ा मुआवजा है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस प्रयास से किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। पहले किसानों को इसी जमीन का ५३ लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना निर्धारित किया गया था।

ज्ञात हो कि सिरसपुर में मेट्रो यार्ड बनाने के लिए २०१३ में कांग्रेस के शासन काल में ५६ एकड़ के करीब जमीन मेट्रो ने अधिग्रहीत की गई थी। इसमें अधिकतर जमीन सिरसपुर की थी तथा कुछ जमीन खेड़ा गांव की थी। जिस समय यह जमीन अधिग्रहीत की गई उसके आठ दिन बाद ही भूमि अधिग्रहण का नया कानून लागू किया गया। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने के आठ दिन पहले इसलिए अधिग्रहीत कर ली गई कि उन्हें नया रेट का लाभ नहीं मिल पाए। इसके विरोध में किसान अधिग्रहीत की गई जमीन पर धरने पर बैठ गए और लगभग एक साल तक धरना दिया।

उधर, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चली गई और आप की सरकार आई। इस परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने न्याय का भरोसा दिया। मगर ४९ दिन बाद सरकार चली गई। दिल्ली में एलजी शासन लगा। ये लोग इधर उधर अधिकारियों से मिलते रहे। मगर कुछ

प्रति एकड़ तीन करोड़ सात लाख का है मुआवजा



समाधान नहीं निकला। इन किसानों की मांग थी कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। १४ फरवरी २०१५ को दिल्ली में आप की सरकार आने के बाद बादली क्षेत्र के विधायक अजेश यादव ने पीड़ित किसानों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंडल आयुक्त को कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमीन के स्थानीय मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा देने के लिए कहा। मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) को सौंपी गई। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून व भूमि से संबंधित विभिन्न सरकार दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को मंडल आयुक्त के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी। जिसमें स्थानीय मार्केट रेट व सर्कल रेट आदि के सभी पहलुओं के आधार पर कहा गया कि किसानों को प्रति एकड़ ३ करोड़ ७ लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो से मुआवजा देने के लिए कहा। दिल्ली मेट्रो ने इस खेती की लगभग ५६ एकड़ जमीन का अभी तक का सबसे अधिक मुआवजा दिया है। जो प्रति एकड़ ३ करोड़ ७ लाख रुपये है।

दैनिक जागरण
Daily Newspaper Unit